अधिसूचना   नई दिल्ली, तारीख 30 अप्रैल, 2015

सं0 12/2015-सेवा कर

सा0का0नि0 (अ). केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 25/2012-सेवाकर, तारीख 20 जून, 2012 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा0का0नि0 467(अ), तारीख 20 जून, 2012 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातः-

1. उक्त अधिसूचना,--

(i) प्रविष्टि 26 में, मद (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित मदों को अंत:स्थापित किया जायेगा, यथा:-

"(त) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना;"

(ii) प्रविष्टि 26क में, मद (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित मदों को अंत:स्थापित किया जायेगा, यथा:-

"(ड0) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना;

(च) प्रधानमंत्री जन धन योजना;";

(iii). प्रविष्टि 26क के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जायेगा यथा

"26ख अटल पेंशन योजना (एपीवाई) अंशदान को इक्टठा करके दी जाने वाली सेवा ।"

(फा.सं.334/5/2015-टीआरयू)

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सा.का.नि. 467(अ) तारीख 20 जून, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, अधिसूचना सं0 25/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 160(अ) तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा अधिसूचना सं. 06/2015-सेवा कर, तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।